न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/5593/2005/जोधपुर

नाथुराम पुत्र हरदेवराम जाति मेघ्वाल निवासी ग्राम माडपुरिया तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम

मेघाराम पुत्र हरदेव0राम जाति मेघवाल निवासी ग्राम माडपुरिया तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री सतीश चन्द गोदारा, सदस्य

उपस्थितः श्री योगेन्द्रसिंह वकील अपीलार्थी
श्री दुनीचन्द वकील प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः.23.5.19

यह द्वितीय अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 156/04 में पारित निर्णय दिनांक 31. 8.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी ने एक वाद अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत उखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माडपुरिया स्थित आराजी खसरा नम्बर 121/1 रकबा 4 बीघा वादी को आवंटित की हुई होकर वादी के खातेदारी की स्थित हैं। प्रतिवादी मेघाराम वादी का सगा भाई है। वादी ने इसी भूमि पर अपना आवासीय मकान बना रखा है। प्रतिवादी ने भी वादी की अनुमति से उक्त खसरा नम्बर 121/1 के उत्तर की तरफ बाडा बनाकर कच्चा मकान बनाकर रह रहा है। प्रतिवादी ने वादी को कहा कि जब वो चाहेगा बाडा व मकान खाली कर देगा। प्रतिवादी को बार बार कहने पर भी वह खाली नहीं कर रहा है। विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने एक वाद धारा 88 व 188 अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो निर्णय दिनांक 28.1.98 से खारिज किया

गया। इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 28.12.98 से खारिज कर दी गई। प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे। प्रतिवादी ने जबाबदावा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 14.6.2004 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इससे असन्तुष्ट होकर प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 31.8.2005 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय दिया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय की वैधता को देखना था जबकि उन्होंने प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति के बावजूद विवादित भूमि की नपति कराकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को प्रति प्रेषित कर दिया है अनुचित है। प्रतिवादी ने जबाबदावे में वादी की स्वीकृति से मकान व बाडा बनाना स्वीकार किया है जिससे उसे बेदखल किया जाने का आदेश दिया जाना चाहिये था। प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एवं ना ही खसरा नम्बर 121/1 पर काबिज नहीं होना कथन किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश 41 नियम 31 सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रतिवादी प्रत्यर्थी का कब्जा वादी अपीलार्थी की भूमि पर नहीं होकर उसके पास स्थित सिवायचक भूमि पर है जिस हेतु प्रतिवादी प्रत्यर्थी को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का नोटिस तहसीलदार द्वारा दिया गया है। वादी द्वारा वाद में खसरा नम्बर 121/1 के संबंध में अनुतोष चाहा गया है जबकि विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 121 के संबंध में अनुतोष दिया है जो अनुचित होकर प्लीडिंगस से बाहर है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विवादित आराजीयात की नपति कराकर विधि अनुसार कार्यवाही कर खसरा नम्बर 121/1 के संबंध में निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में खसरा नम्बर 121/1 रकबा 4 बीघा भूमि स्वंय को आवंटित होना बताते हुए इसी आराजी के संबंध में अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.6.04 के अवलोकन से यह स्पष्ट हे कि उन्होंने खसरा नम्बर 121 के संबंध में अनुतोष देते हुए वाद डिक्री किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तहसीलदार, भोपालगढ की नपति रिपोर्ट के आधार पर यह मानते हुए कि खसरा नम्बर 121/1 की तरमीम की हुई है एवं इसके उत्तर में मेघाराम का रहवासीय मकान व दुकान बना हुआ है। मेघाराम के कब्जे का क्षेत्रफल 1 बीघा 3 बिस्वा है। इसी आधार पर मौके पर वादी को आवंटित भूमि व प्रतिवादी के कब्जे की भूमि पर निर्मित मकान दुकान आदि का सीमांकन करते हुए वादग्रस्त आराजी के उपयोग व उपभोग के संबंध में जाचं कर निर्णय करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है।

7. तहसीलदार, भोपालगढ द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.7.05 जिसके साथ पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका फर्द मय नजरी नक्शा के अवलोकन से यह स्पष्ट हे कि वादी अपीलार्थी के आराजी खसरा नम्बर 121/1 की तरमीम हो रखी है तथा इसके उत्तर में प्रतिवादी मेघाराम द्वारा निर्मित मकान व दुकान स्थित है। जबकि वादी का कथन है कि प्रतिवादी का मकान वादी की आराजी खसरा नम्बर 121/1 में स्थित है। ऐसी स्थिति में उक्त मौका जांच रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए विवाद के सही एवं अन्तिम निस्तारण हेतु मौके पर विधिक प्रावधानों के अनुसार वादी के खातेदारी की आराजी एवं प्रत्यर्थी प्रतिवादी के कब्जे व रिहायशी मकान आदि की स्थिति की नपति कराकर ही किया जाना उपयुक्त एवं न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में हम प्रथम अपीलीय न्यायालय में निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर का निर्णय दिनांक 31.8.2005 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द गोदारा)
सदस्य

(मोड़ूदान देथा)
सदस्य